# अबूझमाड़िया

## एक विशेष पिछड़ी जनजाति

**आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़**

**2020**

# प्राक्कथन

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों में से कुछ निश्चित जनजातीय समुदायों को विशिष्ट मापदण्डों यथा स्थिर या कम होती जनसंख्या, न्यून साक्षरता दर, कृषि की आदिम तकनीक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर देश में 75 जनजातीय समुदायो को विशेष पिछड़ी जनजाति (Particularly Vulnerable Tribal Groups) घोषित किया गया है। जिसमें से अबूझमाड़िया छत्तीसगढ़ राज्य की 05 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक प्रमुख जनजाति है।

अबूझमाड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले के ओरछा एवं नारायणपुर विकाखण्ड के 249 ग्रामों में निवासरत है, जिसमे से कुछ विरान ग्राम है। इनके निवास क्षेत्र को अबूझमाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इनके गोत्र टोटेमिक होते है तथा अक्कोमामा एवं दादा भाई दो बर्हिविवाही अर्धांशों में विभक्त है। अक्कोमामा शब्द विवाह संबंधी गोत्रों के लिए प्रयुक्त होता है। इनमे सामाजिक जीवन हेतु औपचारिक शिक्षा के केन्द्र के रूप में घोटुल या युवागृह की व्यवस्था होती है।

अूझमाड़िया जनजाति का आर्थिक जीवन वनोपज संकलन, शिकार, पशुपालन एवं परम्परागत आदिम कृषि एवं परम्परागत कृषि पर आधारित है। शासन द्वारा इनके समग्र विकास हेतु अबूझमाड़िया विकास अभिकरण गठित कर विभिन्न विकासमूलक योजनाएं संचालित की जा रही है।

छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के **''छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला''** के अन्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा **अबूझमाड़िया जनजाति के जीवनशैली पर आधारित फोटो हैण्डबुक** प्रकाशित की गई है। हम आशा करते है कि, संस्थान के संचालक के मार्गदर्शन में अनुसंधान दल द्वारा तैयार की गई इस पुस्तिका में दर्शित तथ्य राज्य के संबंधित जनजाति समुदाय एवं जनजातीय संस्कृति में रूचि रखने वाले लोगों के लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होगी।

**शम्मी आबिदी IAS**
संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

**डी.डी.सिंह IAS**
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

# अबूझमाड़िया

## एक विशेष पिछड़ी जनजाति

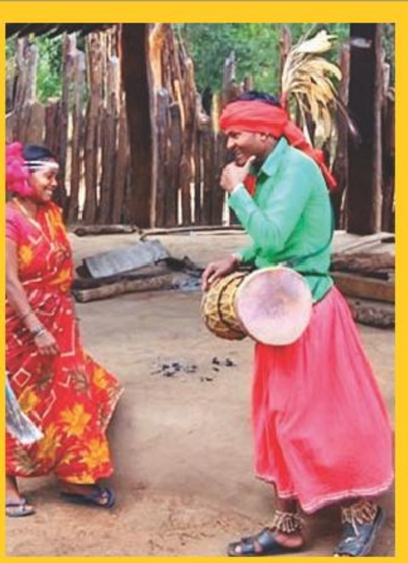


मार्गदर्शन – शाम्मी आबिदी, संचालक

– डॉ. आनंद जी सिंह, अनुसंधान अधि.

प्रस्तुतीकरण – डॉ. राजेन्द्र सिंह



आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

# परिचय

अबूझमाड़िया जनजाति का निवास क्षेत्र छत्तीसगढ राज्य के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में है। अबूझमाड़िया जनजाति शहरी व ग्रामीण समाज से पृथक अबूझमाड़ क्षेत्र के गहन वन एवं पहाड़ों से परिपूर्ण प्राकृतिक परिवेश में निवास करती है। इस क्षेत्र तथा क्षेत्रवासियों को अबूझमाड़ तथा अबूझमाड़िया शब्द बाहरी समाज द्वारा दिया गया है। अबूझमाड़िया, स्वयं को 'मेटा कोईतोर' अर्थात 'पर्वतीय भूमि के निवासी' कहते हैं। अबूझमाड़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैप्टेन सी. एल. आर. ग्लसफर्ड (1866–67) ने अपनी रिपोर्ट में ''उबूझमार्ड'' शब्द के रूप में किया था। ग्रांट (1870) ने गजेटियर में इस क्षेत्र के लिये ''माड़ियान'' या ''अबूझमार्ड'' शब्द का प्रयोग किया था। हिस्लॉप (1876) ने **''हिन्दू ट्राइब्स** एण्ड कॉस्ट्स, भाग–2 में **''अबूझमाड़''** शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने अबूझमाड़ शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि, यह पृथक मानव समूह देश के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्र में रहता है, जिसे ''माडियान या ''अबूझमाड़'' के नाम से जाना जाता हैं।

अबूझमाड़ शब्द हिन्दी भाषा के 'अबूझ' अर्थात 'अनजान' तथा 'माड़' अर्थात 'पहाड़ी भूमिवाचक' गोंडी शब्दों के योग से बना है, अबूझमाड क्षेत्र के मूल निवासी को 'अबूझमाड़िया' कहते हैं। अतः 'अबूझमाड' तथा 'अबूझमाड़िया' का शाब्दिक अर्थ क्रमशः 'अनजान पहाड़ी भूमि' एवं 'अनजान पहाड़ी' भूमि के निवासी' है। अंग्रेज लेखक व प्रशासक सर डब्ल्यू वी. ग्रिगसन (1938) ने इन्हें 'हिल माड़िया' नाम दिया। अबूझमाड़िया, अबूझमाड़ क्षेत्र को **'मेटाभूम'** अर्थात् 'पर्वतीय भूमि' तथा स्वयं को 'मेटा कोईतोर' अर्थात 'पर्वतीय भूमि के निवासी' कहते हैं। अबूझमाड़िया जनजाति, गोंड जनजाति की उपजाति है।

अबूझमाड़िया जनजाति का निवास क्षेत्र अबूझमाड, नारायणपुर जिले के ओरछा (अबूझमाड़) तहसील एवं विकासखण्ड के अन्तर्गत है। अबूझमाड़ का क्षेत्रफल लगभग 3905 वर्ग कि.मी. है। इस क्षेत्र की लंबाई उत्तर से दक्षिण दिशा में लगभग 95 कि.मी. तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में लगभग 55 कि.मी. तक विस्तारित है। अबूझमाड़ 19°0′–20°0′ उत्तरी अक्षांश एवं 80°39′–81°39′ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। सन् 2015–16 में आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा कराये गये अबूझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार अबूझमाड़िया जनजाति नारायणपुर जिले के नारायणपुर विकासखंड के 14 व ओरछा (अबूझमाड़) विकासखंड के 235 ग्राम कुल 249 ग्राम में निवासरत है, जिसमें ओरछा क्षेत्र के कुछ ग्राम विरान है। इस सर्वेक्षण के अनुसार अबूझमाड़िया जनजाति की जनसंख्या 23330 है। जिसमें 11456 पुरूष व 11874 महिलायें तथा लिंगानुपात 1036 है। अबूझमाड़िया जनजाति के कुल 4786 परिवार है।

वर्तमान तक अबूझमाड़ क्षेत्र का वन एवं राजस्व सर्वेक्षण पूर्ण नही हुआ है। पूर्व में अबूझमाड़िया जनजाति की संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए शासन द्वारा अबूझमाड़ क्षेत्र में प्रवेश तथा निवास हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया था। छत्तीसढ़ शासन ने 2009 में प्रवेश पर प्रतिबंध को समाप्त किया व अबूझमाड़ क्षेत्र का राजस्व सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया।

# उत्पत्ति एवं इतिहास

अबूझमाड़िया जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव है। अबूझमाड़िया जनजाति, गोंड जनजाति की उपजाति है। पं. केदारनाथ ठाकुर ने 'बस्तर भूषण'(1908) नामक ग्रंथ में माड़िया जनजाति का सविस्तार वर्णन किया है। उनके अनुसार, ''माड़ियों के आदि वासस्थान बैलाडीला पहाड़ के आस–पास है, अब भी वे लोग वहीं रहते हैं। माड़िये तीन प्रकार के हैं– वर्तमान में अबूझमाड़िया, कुवाकोंडा हल्के के माड़िये और तेलंगे माड़िये, (माड़िया अर्थात् कोया) ये लोग गोंड हैं।''

आर. वी. रसेल एवं राय बहादुर हीरालाल के स्वतंत्रता पूर्व ग्रंथ "The Tribes and Castes of the Central Provinces of India" (1916) Vol.- III के अनुसार "The Gonds of Bastar divided into two groups, the Maria and the Muria. The Madia are the wilder, and are apparently named after Mad, as the hilly country of Bastar is called. Mr. Hiralal suggests the derivation of Muria from Mur, the Palas tree, which is common in the plains of Bastar, or from Mur, a root. Both derivations must be considered as conjectural. The Murias are the Gonds who live in the plains and are more civilized than the Marias."

अंग्रेज प्रशासक सर डब्ल्यू. वी. ग्रिगसन के ग्रंथ "The Maria Gonds of Bastar"(1938) में माड़ियाओं को उनके निवास क्षेत्र के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है–अबूझमाड़ पर्वतों के निवासी हिल माड़िया तथा इंद्रावती नदी के दक्षिण भाग में निवासरत बायसन हार्न माड़िया। Where the hill marias are the immediate neighbours of the

Bison-horn Marias, the influence of the latter is strong. In theory, according to local legend the Mander, a tributary running more or less east to west and joining the Indrawati on its southern bank near Barsur, is the boundary between the two kinds of Marias, with the Indrawati as the boundary west of the confluence. Here the Hill Marias knows the Bison horn Marias as Dandami Koitor;

अबूझमाड़िया शारीरिक रूप से सुविकसित होते है। उनके बाल गहरे भूरे एवं काले होते हैं, जो लहरदार एवं घुँघराले होते हैं। आँखे सामान्यतः काली, लेकिन किसी–किसी की गहरे भूरे रंग की भी होती है। चेहरे का आकार अंडाकार, गोल एवं पंचकोणीय होता है। इनकी त्वचा रंग सांवला एवं काला होता है। इनके होंठ मध्यम आकार के तथा नाक मध्यम से चौड़ा होता है।

अबूझमाड़िया जनजाति में गोंडी बोली का स्थानीय स्वरूप 'माड़ी' प्रचलित है। इनकी बोली द्रविड़ भाषा समूह के अन्तर्गत है। गियर्सन की लिग्विस्टिक सर्वे ऑफइंडिया भाग–IV में ''माड़िया'' बोली को गोंड़ी के स्थानीय स्वरूप के रूप में उल्लेख किया गया है। अबूझमाड़ क्षेत्र की विषम प्राकृतिक बनावट एवं निवासियों का बाहरी सम्पर्कों से कटाव के फलस्वरूप गोंडी बोली वर्तमान 'माड़ी' बोली में परिवर्तित हो गयी होगी। अबूझमाड़ क्षेत्र में प्रचलित 'माड़ी' बोली के उच्चारण की गति तीव्र है तथा इसके अनेक शब्द कंठ या गले के दबाव से उच्चारित किया जाता है।

# भौतिक संस्कृति

गहन वन एवं पहाड़ों से युक्त अबूझमाड़ क्षेत्र में अबूझमाड़िया जनजाति के ग्राम छोटे व विरल जनसंख्या के होते हैं। अबूझमाड़िया ग्राम, पहाड़ी ढलान या पहाडों के समीप के समतल स्थल पर बसे होते है। पूर्व में अबूझमाड़िया ग्राम, पेंदा खेती (स्थानांतरित कृषि) के कारण निश्चित अवधि में नियत भू–भाग में स्थानांतरित होते थे किंतु वर्तमान में शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य व पोषण, राशन दुकान संबंधी अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास एवं पेंदा खेती (स्थानांतरित कृषि) में कमी के कारण ग्राम की बसाहट स्थायी हो रही है।

ग्राम, पाराओं में बंटा होता है व पारा के मुख्य भाग में गली के दोनों ओर आवास होते हैं, शेष आवास दूर–दूर होते हैं। ग्राम में ग्राम देवी व दूसरे देवी–देवताओं का मंदिर तथा ग्राम के मध्य में 'घोटुल' (युवागृह) होता है, इनके चारों ओर लकड़ी के खंबों का घेरा होता है। श्मशान व स्मृति स्तंभ क्षेत्र ग्राम से कुछ दूरी पर होता है। कुछ ग्रामों में स्मृति स्तंभ ग्राम के भीतर स्थापित हैं।

अबूझमाड़िया आवास के चारों ओर बाँस या लकड़ी के खंबों की बाड़ होती है, मध्यभाग में 'लोन' (आवास) स्थित होता है। आवास का पहला

कक्ष 'अगली' (बरामदा) होता है, जिसमें सभी लोग आ सकते हैं। 'अगली' के बाद 'गुड़नद' (शयन कक्ष) होता है। इसमें सामान भी रखा जाता है। इसके पीछे 'अंगादी' (रसोई घर) होता है। इसके बाद 'हानाल कोली' या 'बीडड तास्ना कोली' (पूर्वजों का कक्ष या भंडार कक्ष) होता है।

आवास से कुछ अंतराल पर एक कमरा होता है, जिसे 'वंडे कुरमा' कहते हैं। यहाँ रजस्वला तथा प्रसूता स्त्री को रखा जाता है। यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है।

आवास के समीप अनाज के संग्रहण हेतु 'मंडा' (अनाज भंडार गृह) बनाया जाता है। इसे लकड़ी के चार या छह खम्बों पर मचान की तरह बनाया जाता है। जमीन के कुछ ऊपर लकड़ी काफ फर्श बनाया जाता है। इसके चारों ओर बॉस की बाड़ी लगा दी जाती है, जिससे अंदर रखे अनाज सुरक्षित रहें। ऊपर की ओर छत बना दी जाती हैं।

वन्य प्राणियों से बचाव व सुरक्षा के लिये अबूझमाड़िया सदस्य अपने आवास के समीप पालतू पशुओं के लिये 'पद गुड़ा' (सुअर आवास), 'कोंदा गुड़ा' (गाय–

बैल का आवास) तथा 'ऐटी लोन' (बकरी आवास) बनाते है।

अबूझमाड़िया भोजन के रूप में कोसरा, कोदो–कुटकी, चॉवल, मक्का, मूँग, उड़द दाल एवं सब्जियों का उपभोग करते है। इनके भोजन में भात, पेज अनिवार्य रूप से होता है। अबूझमाड़िया मत्स्य आखेट तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिकार द्वारा माँस प्राप्त करते हैं। अबूझमाड़िया मुर्गा, बकरा, सूअर आदि पालतू पशु के माँस भी खाते हैं। इनके दैनिक भोज्य पदार्थ में वन से प्राप्त अनेक प्रकार की भाजिया एवं कंदमूल भी शामिल होते है।

अबूझमाड़िया नशे के लिये शराब, सल्फी रस तथा छिंद रस का सेवन करते हैं। सल्फी तथा छिंद रस वर्ष में चार से छह माह उपलब्ध होता है। अबूझमाड़िया परिवार अपने घरों में महुआ से आसवन विधि द्वारा शराब का निर्माण करते हैं। शराब का अबूझमाड़िया जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसे, सभी मुख्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा मनोरंजन के अवसरों पर उपयोग किया जाता है।

अबूझमाड़िया सदस्य पूर्व में वस्त्रों का कम उपयोग करते थे। नन्हे बालक हाफपैंट व बालिकायें फ्राक पहनती हैं।

युवा व प्रौढ़ पुरूष धोती, लुंगी, बनियान तथा महिला साड़ी, ब्लाउज पहनती हैं। वृद्ध पुरुष धोती को घुटने से उपर तक मोड़कर पहनते हैं व वृद्ध स्त्री एक ही साड़ी को पूरे शरीर में लपेटे रहती है। बाहरी लोगों के सम्पर्क के फलस्वरूप वर्तमान में अबूझमाड़िया स्त्री–पुरुष की वेशभूषा में बदलाव आया है। वे टी–शर्ट, शर्ट, हाफपेंट, फूलपेंट, जींस, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सलवार–कुर्ता, गाउन आदि आधुनिक वस्त्र पहनने लगे है।

अबूझमाड़िया सदस्य आभूषण के रूप में गले में **'उबिंग'** (सिक्कों की माला), चीप माला, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक व मोतियों की माला, गिलट के आभूषण, कलाई में कांच व विभिन्न धातुओं की चूड़ियां, अंगूठी, तोड़ा (पैरों में पहनने का आभूषण), **पैड़ी** (पायल) पहनते है। पर्व में नृत्य के लिए युवक–युवती के पास विशेष पोशाक व आभूषण होते है।

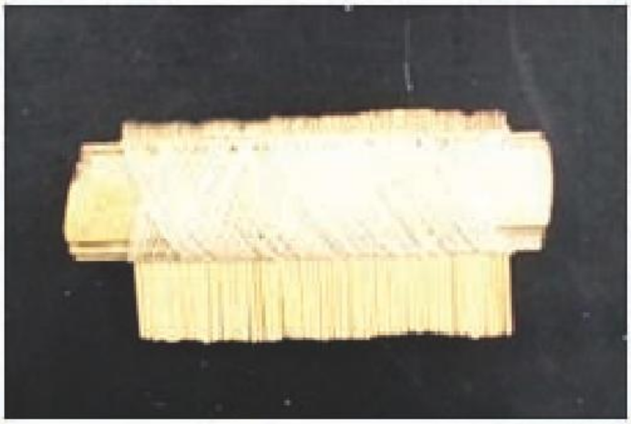

# जीवन संस्कार

अबूझमाड़िया जनजाति में जन्म को सामान्य प्राकृतिक घटना माना जाता है। मासिक चक्र के रूकने पर गर्भधारण होना माना जाता है। अबूझमाड़िया जनजाति में गर्भवती स्त्री को नये या बढ़ते फूल, पत्ते, शाखा के तोड़ने पर निषेध होता है। प्रसव घर के समीप बने झोपड़ी ''कुरमा

लोन'' में होता है। जिसमें ग्राम की दो–तीन स्त्रियाँ मदद करती हैं। नाल काटने में चाकू या तीर का उपयोग किया जाता है। ''नाल'' को घर के पीछे गड़ा दिया जाता है। प्रसूता स्त्री को आठ दिनों तक ''कुरमा लोन'' में रहना पड़ता है। इस अवधि में बच्चे का पिता भी कुछ नियमों और निषेधों का पालन करता है। नाल झड़ने या आठ दिनों के बाद बच्चे का नामकरण संस्कार होता है। कहीं–कहीं सुविधानुसार बाद में भी नामकरण होता है।

अबूझमाड़िया पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इसलिए नवजात शिशु के नामकरण के पूर्व अनेक विधियों से यह ज्ञात करते हैं कि नवजात शिशु के रूप में किस पूर्वज का पुनर्जन्म हुआ है। जिस पूर्वज का पुनर्जन्म ज्ञात होता है, उसके पिछले जन्म के नाम के आधार पर नवजात शिशु का नामकरण किया जाता है।

अबूझमाड़िया जनजाति में एकल व बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। इनमें विवाह मई–जून माह में **ककसाड़ त्यौहार** के पश्चात् होते है। अबूझमाड़िया जनजाति में ममेरे–फूफेरे विवाह को अधिमान्यता है। अबूझमाड़िया जनजाति में वधू मूल्य प्रथा प्रचलित है। इसमें विवाह के अवसर पर वर पक्ष, वधू पक्ष को रूपये शराब, कोसरा अनाज मुर्गा, दो कपड़े–तलदोपा (पगड़ी) व पिंगोड़ गेतलांग देता है। अबूझमाड़िया जनजाति में सहमति विवाह (तालको वायता) अधिक होते है। इसके अतिरिक्त जीवन साथी चुनने लमसेना विवाह (लामडे वायता), विनियम विवाह (कोविडिदांग), पलायन या प्रेम विवाह (गोचूर वायता), अपहरण विवाह (पोयस तनाना), हठ विवाह (ओड़ी वायता) एवं पुनर्विवाह विधियॉ प्रचलित है। अबूझमाड़िया जनजाति में विवाह विच्छेद बहुत कम पाये जाते है।

अबूझमाड़िया जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिये शवदाह एवं दफनाने की प्रक्रिया प्रचलित है। यदि मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई हो तो शव को दफनाया जाता है, जबकि अप्राकृतिक मृत्यु अर्थात दुर्घटना, बीमारी या वन्य प्राणी के हमले द्वारा हो तो शव को जलाया जाता है। अप्राकृतिक मृत्यु में शव को सामान्य श्मशान की जगह दूर जंगल में अंतिम संस्कार किया जाता हैं। मृतक को जलाने या दफनाने के दौरान सिर पूर्व की ओर एवं पैर पश्चिम दिशा की ओर रखा जाता है। अंतिम संस्कार के दूसरे दिन मृतक की निजी वस्तुओं को शमशान के समीप मार्ग पर फेक दिया जाता है। तीसरे दिन शुद्धिकरण व अनुष्ठानिक क्रियायें संपन्न किया जाता है। तथा उपस्थित सदस्यों को भोजन कराया जाता है।

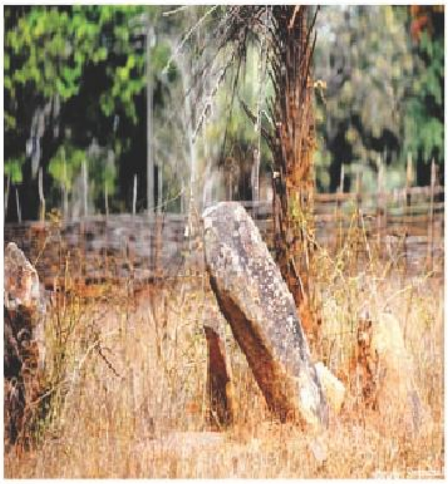

किसी व्यक्ति की मृत्यु के निश्चित अवधि पश्चात मृतक स्तंभ स्थापित किया जाता है। मृतक स्तंभ हेतु गोत्र के अनुसार भूमि निश्चित होती है। अबूझमाड़िया लोगों में विश्वास है कि, मृतक पूर्वजों के स्तंभ के आकार में वृद्धि होती है।

# सामाजिक जीवन

अबूझमाड़िया समाज में परिवार मूल इकाई है। परिवार के नातेदार एक या आसपास के ग्रामों में निवास करते हैं। अबूझमाड़िया जनजाति में गठन के आधार पर केन्द्रीय, संयुक्त तथा विस्तृत परिवार पाये जाते हैं। अबूझमाड़िया जनजाति में वैवाहिक स्थिति के आधार पर एकल विवाही एवं बहुपत्नी विवाही परिवार पाये जाते है।

अबूझमाड़िया परिवार पितृसत्तात्मक परिवार है अर्थात् परिवार में पिता प्रमुख होता है। अबूझमाड़िया जनजाति में आवास के आधार पर पितृस्थानीय एवं नव–स्थानीय परिवार पाये जाते हैं। इन नातेदार परिवारों के संयुक्त रूप को कुटुम्ब या कुल की संज्ञा दिया जा सकता है। इसके सदस्य रक्त संबंधी होते हैं तथा एक–दूसरे से संबंधों को स्पष्टतः जानते हैं। वंश में अनेक कुटुम्ब का योग होता है तथा ''**कट्टा**'' (गोत्र) में अनेक वंशों का समावेश होता है। अबूझमाड़िया जनजाति में गोत्र एवं गोत्र चिन्ह (टोटम) पाये जाते हैं। इनमे करमा, दोरपा, जाटा, वड्डे, कोर्राम, दोदी आदि गोत्र पाये जाते है।

सम्पूर्ण अबूझमाड़िया समाज गोत्र, वैवाहिक तथा सामाजिक

सम्बन्धों के नियमन के लिये ''अक्कोमामा'' एवं ''दादाभाई'' दो बहिर्विवाही अर्धांशों में विभक्त है। ''अकोमामा'' शब्द वैवाहिक संबंधियों गोत्र के लिये तथा ''दादाभाई'' शब्द रक्त संबंधियों गोत्र के लिये प्रयुक्त होता है।

घोटुल– अबूझमाड़िया जनजाति का सामाजिक जीवन सुसंगठित, उल्लासपूर्ण एवं सहकारिता से परिपूर्ण है। अबूझमाड़िया जनजाति में घोटुल (युवागृह) पाया जाता है। अबूझमाड़िया घोटुल में, बालक–बालिका की सदस्यता 8–10 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होती हैं तथा उनकी सदस्यता विवाह तक रहती है। अबूझमाड़िया घोटुल में बालकों को ''लेयोर'' तथा बालिकाओं को ''लयस्कू'' कहा जाता है। घोटुल या युवागृह अविवाहित युवक–युवतियों का मनोरंजन–सहशिक्षा केन्द्र, अतिथि गृह तथा सभागृह होता है। ग्राम के अविवाहित युवक–युवतियॉ प्रतिदिन शाम को घोटुल में एकत्रित होते हैं। घोटुल में उन्हें मनोरंजन के साथ–साथ भावी जीवनोपयोगी शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाता है। घोटुल का वरिष्ठ सदस्य ''पटेल'' (मुखिया) होता है। ''पटेल'' के सहयोग के लिये सदस्यों में से एक युवक ''कोटवार'' तथा एक युवती ''कोटवारिन'' होते हैं। इनके द्वारा घोटुल की गतिविधियों का सुव्यवस्थित संचालन किया जाता है। घोटुल में अतिथियों के रूकने व भोजन की व्यवस्था ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त विवाह, शोक, ग्राम सुरक्षा, ग्राम सेवा एवं त्यौहार में घोटुल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

# आर्थिक जीवन

अबूझमाड़िया जनजाति की अर्थव्यवस्था प्रकृति पर आधारित निर्वाह की अर्थव्यवस्था है।

अबूझमाड़िया जनजाति का आर्थिक जीवन वनोपज संकलन, शिकार, पशुपालन, आदिम कृषि एवं परंपरागत कृषि पर आधारित है। जिसमें परिवार उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करता है।

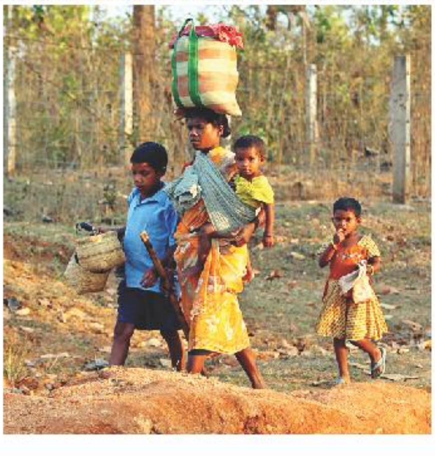

अबूझमाड़िया सदस्य वनों से कंदमूल एवं वनोपज संकलन करते हैं। संकलन का कार्य परिवार के सभी अर्धकार्यशील व कार्यशील सदस्य करते हैं। ये वन से अनेक प्रकार के जंगली कंद, भाजियां, पत्तियां, फूल, फल, बांस का नवीन कोमल तना (बास्ता या करील), विभिन्न प्रकार के मशरूम आदि का संकलन खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं। वे आंवला, आम, इमली, जामुन, कोसा, शहद, चार, फूलबाहरी, महुआ आदि का संग्रहण बाजार में मुद्रा या वस्तु विनियम के लिये करते हैं, जिसके माध्यम से वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते है।

अबूझमाड़िया जनजाति के पुरूष सदस्य एकल एवं सामूहिक शिकार करने में दक्ष होते हैं। ये शिकार के लिए गुलेल, तीर–धनुष, फरसा, विभिन्न प्रकार के जाल आदि का उपयोग करते हैं। सामूहिक शिकार प्रायः गर्मी के मौसम में किया जाता है। जिसमें पतझड़ एवं दावानल के कारण शिकार करना आसान हो जाता है। अबूझमाड़िया हिरण, कोटरी, बारहसिंगा, जंगली सुअर, चुहे, खरगोश, चिड़िया, जंगली मुर्गा आदि का शिकार करते हैं।

अबूझमाड़िया स्त्री–पुरूष एकल या समूह में नदी–नाले, तालाब से मछली, केकड़ा, कछुआ आदि जलीय जीव पकड़ते हैं। अबूझमाड़िया इस कार्य के लिये गरी, जाल, विभिन्न प्रकार के दाँदर, तीर आदि का उपयोग करते हैं। अबूझमाड़िया रूके हुए पानी या कम पानी के बहाव को दोनों ओर से बाँधकर मछली पकड़ते हैं। इस रूके हुए पानी को छोटे बर्तन की सहायता से बाहर फेंक दिया जाता है तथा गड्ढे की सारी मछलियों को पकड़ लिया जाता है। इस विधि से मछली पकड़ने का कार्य स्त्रियों द्वारा समूह में किया जाता है।

अबूझमाड़िया माँस, बलि एवं आय के लिये पशुपालन करते हैं। वे गाय, बैल, बकरा–बकरी, सूअर, मुर्गा–मुर्गी आदि पशु–पक्षी पालते हैं। अबूझमाड़िया गाय एवं

बकरियों का दूध नहीं निकालते हैं, उनकी मान्यता है कि दूध पर बछड़े एवं बकरी के बच्चे का अधिकार है। गाय एवं बकरी, बैल तथा बकरे के लिये पाला जाता है। उपरोक्त पशुओं के साथ–साथ अबूझमाड़िया कुत्ता, मोर, तोता, मोर, रामी चिड़िया आदि पालते हैं।

कृषि, अबूझमाड़िया जनजाति की आर्थिक क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अबूझमाड़िया परिवार लगभग पूरे वर्ष कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। वर्तमान में अबूझमाड़िया जनजाति की कृषि तकनीक तीन प्रकार की है।

पहला, अबूझमाड़िया जनजाति द्वारा पहाड़ों के ढलानों में वृक्ष काटकर किये जाने वाले स्थानांतरित कृषि को **पेंदा कृषि** कहते हैं।

इस आदिम कृषि पद्धति में वनयुक्त पहाड़ी ढलावदार भूमि का चयन कर मार्च–अप्रैल में वृक्षों को काटते हैं तथा वृक्षों के सूखने के पश्चात मई–जून माह में जला देते है। जले हुए वृक्षों की राख उर्वरक का कार्य करती है, इसे पूरे पेंदा भूमि में फैला दिया जाता है। जून–जुलाई में बारिश होने पर बीज छिड़क देते है तथा फसल की सुरक्षा

करते हैं और अक्टूबर–नवम्बर माह में फसल काट लेते है। पेंदा भूमि की उर्वरता के आधार पर एक से तीन वर्षो के पश्चात पेंदा कृषि स्थल स्थानांतरित कर दिया जाता है।

दूसरा **दिप्पा कृषि**, पहाड़ के नीचे समतल क्षेत्र में किया जाता है। दिप्पा कृषि में वन से वृक्ष या सूखी शाखायें लाकर जला दिया जाता है तथा राख ठंडी होने पर उसे पूरे कृषि क्षेत्र में बिखेर दिया जाता है, यह खाद का कार्य करता है। प्रथम बारिश होने पर धान की बोआई कर पूरे कृषि क्षेत्र को कुदाली से खोद दिया जाता है, जिससे बीज मिट्टी में दब जाये। धान के पौधे बड़े होने पर जुलाई–अगस्त में निंदाई कर घास को निकाला जाता है एवं फसल की रखवाली करते हैं। फसल को अक्टूबर–नवम्बर में परिवार के सदस्य मिलकर काटते हैं एवं कुछ दिनों बाद धान की मिंजाई पैर या बैलों द्वारा किया जाता है।

तीसरा, अबूझमाड़िया जनजाति हल–बैल द्वारा स्थायी कृषि करते हैं। इसमें जून माह में हल–बैल द्वारा खेत की जुताई तथा गोबर खाद बिखेर कर धान की बुआई का कार्य किया जाता है। धान के पौधे बड़े होने पर जुलाई माह के मध्य या अंत में निंदाई किया जाता है। इसके बाद खेतों की रखवाली करते हैं। अक्टूबर–नवम्बर माह में धान की कटाई किया जाता है तथा नवम्बर–दिसंबर माह में बैलों की सहायता से मिंजाई कर भण्डारण करते हैं।

# धार्मिक जीवन

अबूझमाड़िया धर्म आत्मा, गोत्र, पूर्वज एवं प्राकृतिक शक्तियों पर विश्वास आधारित है। अबूझमाड़िया जनजाति का निवास क्षेत्र अबूझमाड़ अनेक परगनों में विभाजित है। किसी परगना या क्षेत्रीय गोत्र देव या या देवी का मंदिर, पेन राउड़ परगना में किसी एक स्थान पर स्थित होता है। गोत्र देवों को उत्पत्ति के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है–पूर्वज गोत्र देव के विषय में यह माना जाता है कि इनका परिवार है तथा परिवार के सदस्य अबूझमाड़ के अलग–अलग क्षेत्र में निवास करते हैं और वे उस क्षेत्र के गोत्र के संस्थापक हैं। वर्तमान मनुष्य पूर्वज गोत्र देव के वंशज है, इसलिए वे उस गोत्र संस्थापक की पूजा करते हैं। प्राकृतिक गोत्र देव की श्रेणी में उन गोत्र देवों को रखा गया है जिनकी उत्पत्ति प्राकृतिक वस्तुओं, जीव–जन्तुओं से हुई है। इस प्रकार के गोत्र देव पहाड़, चट्टान, पशु–पक्षी, वनस्पतियाँ आदि टोटम हैं।

पेन राउड़

कोला (करसाड़ पेन)

अबूझमाड़िया ग्राम स्तर पर दो प्रकार के देवी–देवताओं की पूजा करते हैं–**तालुर स्तर** को स्थानीय स्तर कहा जा सकता है। तालुर से तात्पर्य उस भूमि से है, जहाँ तक उस ग्राम का भू–अधिकार क्षेत्र होता है या

वह क्षेत्र जहाँ तक किसी ग्राम विशेष का संभावित स्थानांतरण हो सकता है अर्थात् एक ग्राम को जिस क्षेत्र तक पेंदा कृषि एवं ग्राम स्थानांतरण का अधिकार होता है, उसे तालुर कहते हैं। इस तालुर क्षेत्र के किसी पहाड़ में तालुर देवी (भू देवी) का निवास होता है। तालुर देवी के मंदिर को कभी–भी दूसरे जगह पर स्थानांतरित नहीं किया जाता है। तालुर देवी ग्राम तथा फसलों के संरक्षक होती हैं तथा वह ग्राम में आने वाली आपदा से रक्षा करती हैं।

अबूझमाड़िया ग्राम स्तर पर ग्राम मातृदेवी या तलोक देवी की पूजा करते हैं। मातृदेवी की पूजा मातागुड़ी (मंदिर) में करते हैं, जो ग्राम के मध्य में स्थित होता है। ग्राम मातृदेवी की पूजा गायता या पुजारी द्वारा किया जाता है। मातृदेवी का मंदिर ग्राम के साथ स्थानांतरित होता है। तलोक देवी या मातृदेवी की पूजा ग्रामीण त्यौहारों तथा अन्य अवसरों पर करते हैं। मातृदेवी जंगली पशुओं, प्राकृतिक आपदाओं, बुरी शक्तियों, रोग तथा महामारी से रक्षा करती हैं।

अबूझमाड़िया परिवार के आवास में एक कमरा गृह देवता या मृत पूर्वजों या ''अनाल पेन'' के लिये होता है। ''अनाल पेन'' के रूप में घर के मृत पुरूष मुखिया की आत्मा होती है। पूर्वजों की आत्मा के प्रतीक स्वरूप ''अनाल अड़का'' मिट्टी का बर्तन होता है। अबूझमाड़िया यह विश्वास करते हैं कि उनके पूर्वज की आत्मा उनके साथ रहती है तथा उनकी सुरक्षा, मार्गदर्शन करती है। त्यौहारों तथा अन्य अवसरों पर ''अनाल पेन'' को खाद्यान्न, सल्फी, शराब तथा अंडे या मुर्गी का चूजा बलि स्वरूप दिया जाता है।

उपरोक्त देवी–देवताओं के अतिरिक्त अबूझमाड़िया भंगाराम, भैरमदेव, करंगा तथा अन्य स्थानीय देवी–देवताओं की पूजा करते हैं।

अबूझमाड़िया प्रकृति के आराधक हैं। वे त्यौहार के माध्यम से प्रकृति की आराधना कर उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते है। अबूझमाड़िया जनजाति में नयी फसल तथा नये फल–सब्जियों को अलग–अलग त्यौहार में देवी देवताओं अर्पित करने के पश्चात उपभोग करते हैं। वे त्यौहार में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नयी फसल, फल, सब्जियॉ अर्पित करते है तथा बलि देते हैं। इनके प्रमुख त्यौहार विजा कोडतांग (हरियाली), जोन्ना कोड़तांग (मक्का खाने का त्यौहार), वन्जा कोड़तांग (नवाखानी), पूना कोहला (नया कोसरा खाने का पर्व), ककसाड़ जात्रा (गोत्र देव की पूजा पर्व) हैं।

# राजनीतिक जीवन

अबूझमाड़िया राजनैतिक संगठन वंश परम्परा पर आधारित है। अबूझमाड़िया ग्राम अनेक पारों या टोलों में दूर–दूर बसे होते हें। पारा या टोला के प्रमुख को 'पंच' या 'पारा' मुखिया कहते है। अनेक पारों से मिलकर बने ग्राम के प्रमुख को 'पटेल' कहा जाता है। वह पंचो का नेतृत्व करता है। पटेल का कार्य ग्राम के विवादित मुद्दों तथा समस्याओं को पंच तथा ग्राम बुजुर्गों या वरिष्ठों के समूह की मदद से हल करना है। पटेल, नयी 'पेंदा भूमि' (स्थानांतरित कृषि भूमि) की खोज तथा भूमि के वितरण में कस्येक गायता के साथ प्रमुख भूमिका निर्वाह करता है। पूर्व में पटेल भू–राजस्व जिसे 'पट्टी' कहते थे, की वसूली का कार्य भी करता था, जिसे वर्तमान तक अबझमाड़ क्षेत्र का भू–राजस्व सर्वेक्षण न होने के कारण समाप्त कर दिया गया है।

अनेक ग्रामों से मिलकर 'परगना' बना होता है। सम्पूर्ण अबझमाड़ क्षेत्र अनेक परगनों में विभाजित है। उसके प्रमुख को 'परगना मांझी' कहते है। 'परगना मांझी' परगना के ग्रामों के पटेलों का नेतृत्व करता है। परगना मांझी का मुख्य कार्य अपने परगना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने का होता है। एक से अधिक गॉवों से संबंधित मामलों का निपटारा तथा पटेल द्वारा किसी विवाद या समस्या का उचित समाधान न कर पाने पर उसका उचित समाधान करना परगना मांझी का कार्य होता है। वर्तमान में अनेक कारणों से परम्परागत अबूझमाड़िया राजनैतिक संगठन का प्रभाव कम हो रहा है।

# परिवर्तन एवं विकास

अबूझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास हेतु छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 13.06.1978 को अबूझमाड़ विकास अभिकरण की स्थापना निवर्तमान बस्तर जिले के नारायणपुर में किया गया। 3905 वर्ग किमी. के दुर्गम वन तथा पहाड़ों में निवासरत अबूझमाड़िया जनजाति के विकास हेतु अभिकरण स्थापना के प्रारंभिक अवधि से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास तथा अधोसंरचनात्मक विकास हेतु कार्यक्रम चलाये गये। अबूझमाड़िया जनजाति के विकास हेतु

शासकीय तथा 1985 से क्षेत्र में कार्यरत रामकृष्ण मिशन का प्रयास उल्लेखनीय है। जिसके फलस्वरूप राष्ट्र के नक्सल अतिसंवेदनशील क्षेत्र अबूझमाड़ की अबूझमाड़िया जनजाति विकास प्रगति पथ पर अग्रसर है। पूर्व में अबूझमाड़िया जनजाति का निवास क्षेत्र ओरछा (अबूझमाड़) विकासखंड बस्तर जिले के तीन तहसील नारायणपुर, दंतेवाड़ा तथा बीजापुर तहसील के अंतर्गत था, जिसे प्रशासनिक सुगमता तथा विकास हेतु संपूर्ण अबूझमाड़ क्षेत्र को सन् 2008 में गठित नारायणपुर जिले के अंतर्गत ओरछा (अबूझमाड़) तहसील में समाहित किया गया है।

अबूझमाड़िया जनजाति के आर्थिक विकास हेतु परिवार मूलक कार्यक्रम के अंतर्गत बैलजोड़ी, किराना दुकान,

दुधारू गाय, बैलगाड़ी, भूमि सुधार कार्य, सिलाई मशीन, सायकल दुकान, उड़ावनी पंखा, डीजल पम्प, बढ़ई कार्य, बॉसकला, सब्जी व्यवसाय, साउंड सर्विस होटल व्यवसाय, आवास, लघु व्यवसाय, कुँआ, बीज वितरण ईमली पौधे का वितरण, मत्स्य पालन हेतु तालाब, सूकर, मुर्गी चूजे, बकरी, कृषि उपकरण, लो–लिफ्ट पंप, भूमि समतलीकरण आदि कार्य किये गये हैं। सामुदायिक आर्थिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत स्वरोजगार हेतु दोना पत्तल निर्माण हेतु प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, कोसाधागा निर्माण प्रशिक्षण, कृषि, बागवानी प्रशिक्षण, किराना दुकान, स्व सहायता समूह, मोटर ड्रायविंग प्रशिक्षण अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण, राजमिस्त्री, बढ़ई कार्य प्रशिक्षण, बॉसकला प्रशिक्षण, सोलर लालटेन प्रदाय, फूलझाड़ू निर्माण प्रशिक्षण दिया गया है।

अबूझमाड़िया जनजाति के शैक्षणिक विकास हेतु विगत वर्षों तक आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा 2 हायर सेकेण्डरी स्कूल, 42 माध्यमिक शाला, 96 प्राथमिक शाला, 5 छात्रावास, 58 आश्रमशाला, 1 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय तथा 1 पोटा केबिन संचालित है। 9 आश्रम शाला रामकृष्ण मिशन, विश्वास तथा माता रूकमणी सेवा संस्थान अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित है।

अबूझमाड़िया जनजाति के निवास क्षेत्र अबूझमाड में अधोसंरचना विकास के अंतर्गत पेयजल हेतु ग्रामों में हैण्ड पम्प सड़क मार्ग निर्माण, विद्युतीकरण, गोदाम निर्माण, तालाब निर्माण, रपटा, पुल–पुलियों का निर्माण, शिक्षक तथा कर्मचारी आवास गृह निर्माण, स्टापडेम निर्माण, अहाता निर्माण, शेड निर्माण, आश्रम तथा

छात्रावास एवं स्कूल भवनों का निर्माण, नाली निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, सौर प्रकाश संयत्र स्थापना, हेल्थ पोस्ट, आंगन बड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण किया गया है।

अबूझमाड़िया जनजाति को स्वास्थ्य तथा पोषण सुविधाये उपलब्ध कराने हेतु अबूझमाड क्षेत्र में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 37 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 85 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 96 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है।

अबूझमाड़ क्षेत्र पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र होने के कारण सड़क मार्ग का अभाव है। वर्षाकाल तथा उसके बाद की अवधि में अबूझमाड़ क्षेत्र का अधिकांश भाग शेष दुनिया से संपर्क विहीन हो जाता है। अतः उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अबूझमाड़िया जनजाति को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु अबूझमाड के अंदरूनी क्षेत्रों में उचित मूल्य की राशन दुकानों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें ग्रीष्मकाल में ही पर्याप्त मात्रा में राशन का भंडारण कर दिया जाता है।

अबूझमाड़िया जनजाति में विकासीय प्रयासों की फलस्वरूप सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। अबूझमाड़िया जनजाति के विकास हेतु शासकीय के साथ साथ राम कृष्ण मिशन, विश्वास तथा माता रूक्मणी सेवा संस्थान अशासकीय संस्था का योगदान उल्लेखनीय है। अबूझमाड़िया छात्र छात्रायें उच्च शिक्षा प्राप्त कर सहायक प्राध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, पटवारी आदि की नौकरी प्राप्त कर चुके है।

छत्तीसगढ़ की जनजातियों के ''छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला'' क्र. 04 अबूझमाड़िया

संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

Email: trti.cg@nic.in
Ph: 0771-2960530, Fax 0771-2960531